| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 27.10.2025 | **सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर**<br>**राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 37/2025 (2025/101) अनवान श्यामलाल बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम**<br>पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी श्यामलाल पुत्र पनाराम जाति मेघवाल निवासी बासनी तम्बोलिया, माता का थान, मगरा पुंजला, हाल निवासी झामामण्ड जोधपुर। प्रार्थी की  की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 133 वाके राजस्व ग्राम मोडी सोथरा तहसील लूणी में एवं इसी प्रकार से खसरा संख्या 212 एवं खसरा संख्या 4, वाके राजस्व ग्राम मोडी जोशियान तहसील लूणी जोधपुर में स्थित है। उक्त कृषि भूमियों में प्रार्थी का नाम श्यामलाल पुत्र पनाराम के स्थान पर सोमाराम पुत्र पनाराम दर्ज कर दिया गया है। जबकि प्रार्थी का नाम श्यामलाल ही है एवं श्यामलाल व सोमाराम नाम का प्रार्थी एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश श्यामलाल के स्थान पर सोमाराम दर्ज कर दिया गया जो गलत है। खसरा संख्या 133 वाके राजस्व ग्राम मोडीसोथरा, तहसील लूणी में एवं इसी प्रकार से खसरा संख्या 212 एवं खसरा संख्या 4, वाके राजस्व ग्राम मोडी जोशियान तहसील लूणी में प्रार्थी का नाम सोमाराम पुत्र पनाराम दर्ज है उसके स्थान पर श्यामलाल पुत्र पनाराम दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।<br>प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार लूणी को जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.) लूणी के पत्रांक/भू.अ./2025/3095 दिनांक 13.10.2025 ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि ग्राम मोडी सोथरा की जमाबंदी में खसरा नं. 133 एवं मोडी जोशियान के खसरा नं. 4 व 212 में प्रार्थी का नाम सोमाराम पुत्र पनाराम जाति मेगवाल सहखातेदार में दर्ज है। सोमाराम एवं श्यामलाल एक ही व्यक्ति के नाम है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, सहखातेदारों के बयानों इत्यादि में प्रार्थी का नाम सोमाराम के स्थान पर श्यामलाल किया जाना उचित बताया।<br>उपरोक्त विवेचन तथा तहसीलदार लूणी की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, पैनकार्ड, इत्यादि पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाता है। कि ग्राम मोडी सोथरा की जमाबंदी में खसरा नं. 133 एवं मोडी जोशियान के खसरा नं. 4 व 212 में प्रार्थी का नाम सोमाराम के स्थान पर श्यामलाल राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने आदेश दिये जाते है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।<br>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी | |